विविध प्रार्थना पत्र संख्या 4/17 (उदयसिंह बनाम गजसिंह)

प्रार्थी श्री उदयसिंह तथा अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री अभय पुरोहित उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 सीपीसी वास्ते न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,पाली से सुनवाई स्थानान्तरण करवाने का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने ग्राम पंचायत मेव से अपने आवासीय भूखण्ड का पट्टा वर्ष 2002 मे जारी करवाया था, जिसके विरूद्ध अप्रार्थी ने निगरानी संख्या 91/2011 अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,पाली मे पेश की थी, जिसका निस्तारण दिनांक 25.5.2016 को करते हुए निगरानी को खारिज कर दिया गया। अप्रार्थी ने उक्त निर्णय के विरूद्ध रिव्यू संख्या 5/2016 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,पाली मे पेश किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर,पाली ने रिव्यू स्वीकार कर निगरानी संख्या 91/2011 पुनः नम्बर पर ली गयी। रिव्यू स्वीकार करते समय न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, पाली ने सीपीसी के नियमों का पालन न करते हुये मिलीभगत से बिना नियम के भी रिव्यू स्वीकार कर ली गयी। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुये प्रार्थी का न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली से न्याय प्राप्त होने की कोई उम्मीद शेष नही रह गयी है। अतः रिव्यू संख्या 5/2016 विरुद्ध निगरानी संख्या 91/2011 की सुनवाई को अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली से जिला कलेक्टर, पाली मे स्थान्तरित करने का आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 मे सी.पी.सी के नियम लागू नही होते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने निरस्त फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 सीपीसी वास्ते न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,पाली से सुनवाई स्थानान्तरण करवाने बाबत मे उल्लेखित तथ्यों का अवलोकन किया जिससे पाया गया कि प्रार्थी ने निगरानी संख्या 91/2011 अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.5.2016 के विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना प्रार्थना पत्र संख्या 5/2016 की सुनवाई जिला कलेक्टर,पाली को स्थान्तरित करने की इस्तदुआ की है। धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 मे सी.पी.सी के नियम लागू नही होते है। धारा 97 मे निगरानी सुनने के अधिकार राज्य सरकार को है तथा राज्य सरकार द्वारा ये अधिकार कलेक्टर को डेलीगेट किये गये है। अद्योहस्ताक्षरकर्ता को पंचायती राज से संबंधित पत्रावलियो को स्थान्तरित करने व सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी ने इस संबंध मे ऐसा कोई नियम या पंचायती राज द्वारा जारी कोई आदेश/परिपत्र प्रस्तुत नही किया है। इस कारण उक्त धारा से संबंधित पत्रावली को भी अन्य न्यायालय मे स्थान्तरित करने का क्षेत्राधिकार नही होने से प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 26.9.2018 को पेश हो।

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिश्नर,जोधपुर